



उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०
(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ - 226001
U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD
(U.P. Govt. Undertaking)
14- ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

संख्या: 218-उनिलि/रिफार्म/विनियम(विभा०चय०):13.09.19/2019

दिनांक: 13 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को परिचालन विधि के माध्यम से पारित किये गये निर्णय के अनुपालन में श्रेष्ठता एवं वरिष्ठता के आधार पर किये जाने वाले विभागीय चयन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेशों की व्यवस्थाओं को उत्पादन निगम की सेवाओं के परिप्रेक्ष्य में यथावत् लागू किया जाता है :-

- (क) उ० प्र० शासन का आदेश संख्या:15/2017/13(2)/2007/का-1/2017 दिनांक 20.11.2017 (संलग्नक-1)।
(ख) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० का का०ज्ञा० सं०:215-काविनी एवं वे० प्र०-29/पाकालि/19-14-काविनी/87 (एम०एफ०) दिनांक 22.02.2019 (संलग्नक-2)।

2- उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थायें तत्काल प्रभाव, अर्थात् आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नक-यथापरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से


संख्या: 218-उनिलि/रिफार्म/विनियम(विभा०चय०):13.09.19/2019 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (का० प्र० एवं प्रशा०/परियोजना एवं वाणिज्य/तकनीकी/वित्त), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ, के निजी सचिव/स्टाफ ऑफिसर।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक, अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, सोनभद्र, सोनभद्र, झाँसी, कानपुर, अलीगढ़।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशाषी निदेशक (वित्त), उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. कंपनी सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव में दिनांक 13.09.2019 को परिचालन विधि के माध्यम से पारित किये गये निर्णय के सन्दर्भ में।

क्रमशः.....2/-

9. अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0-01/03/04/05)/उपसचिव (मा0सं0-02)/अधीक्षण अभियन्ता (प्रशिक्षण इकाई)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अधीक्षण अभियन्ता (रिफॉर्म), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. ✓ मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति) टी0 सी0-46/वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।


(मो0 तसनीम)
मुख्य अभियन्ता (मा0सं0)

संख्या-15/2017/13(2)/2007/का-1/2017

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1

तखतः दिनांक 20 नवम्बर, 2017

विषय:-राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु "श्रेष्ठता" आधारित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्यायालयीय वादों (Court Cases) में यह निर्देश और सिद्धान्त (Instructions and rulings) दिये गये हैं कि पदोन्नति हेतु चयन के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का विनिश्चय करने हेतु विभागीय चयन समिति अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) का निर्धारण करने हेतु अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ, विभागीय चयन समिति द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन का मूल आधार हैं। इसलिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का मूल्यांकन निष्पक्ष, न्याय संगत एवं भेदभाव रहित होना चाहिए।

2- राज्याधीन सेवाओं में सृजित/उपलब्ध पदों को भरने हेतु आयोजित चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख विभागीय संगत सेवा नियमावतियों में किया जाता है। पात्रता सूची का निर्माण चयन वर्षवार घटित रिक्तियों के सापेक्ष अर्हता/पात्रता पूर्ण करने वाले कार्मिकों से की जाती है। "श्रेष्ठता" आधारित चयनों के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा निर्गत कार्यालय-जाप संख्या/2908-का-1-83, दिनांक 22 मार्च, 1984 के प्रस्तर-2(2) में यह व्यवस्था है कि पात्रता सूची में सम्मिलित अधिकारियों को उनके सेवाभिलेखों/विशेष रूप से अन्तिम दस वर्ष के सेवाभिलेखों के आधार पर तीन श्रेणियों - 'अतिउत्तम', 'उत्तम' एवं 'अनुपयुक्त' में वर्गीकृत करने के पश्चात् सर्वप्रथम 'अतिउत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार रिक्तियों को भरा जाय और उसके पश्चात् आवश्यकतानुसार 'उत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से शेष रिक्तियाँ भर ली जायें। 'अतिउत्तम' तथा 'उत्तम' श्रेणी के अधिकारियों में से चयनित अधिकारियों के नाम उनकी मूल वरिष्ठता के क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित करके एक सूची बना ली जाय।

3- उक्त कार्यालय-जाप दिनांक 22 मार्च, 1984 के प्रस्तर-2(2) तथा तद्विषयक शासनादेशों की व्यवस्था को संशोधित करते हुए "श्रेष्ठता" आधारित चयनों के सम्बन्ध में कृपया अधोलिखित प्रक्रियानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

(क) उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष यथास्थिति निर्धारित अनुपात/गुणों/उपलब्धता के आधार

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://www.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पर पात्रता क्षेत्र में सम्मिलित समस्त अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाय। पात्रता क्षेत्र के समस्त अधिकारियों का मूल्यांकन उनकी अन्तिम दस वर्ष की प्रविष्टियों के आधार पर किया जाय (यथावश्यकता सम्पूर्ण सेवा काल की प्रविष्टियाँ देखी जा सकती हैं) तथा उनकी आपसी तुलनात्मक पारस्परिक श्रेष्ठता के क्रम में सर्वोत्तम अधिकारियों का चयन किया जाय।

(ख) चयन समिति वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों, उसमें प्रदत्त श्रेणी व अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के आलोक में समुचित मूल्यांकन करेगी। प्रासंगिक अभिलेखों में सरकारी सेवक की प्रविष्टियों/श्रेणी के सन्दर्भ में दिये गये प्रत्यावेदन के सापेक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया आदेश तथा मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्णय और आदेश, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हैं।

(ग) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों हेतु विभागीय चयन समिति द्वारा एक मानक (Bench-mark) निर्धारित करते हुए अधिकारियों को केवल 'उपयुक्त' अथवा 'अनुपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा। विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले अधिकारियों को उपयुक्तता के आधार पर चयन सूची (Select Panel) में सम्मिलित किया जायेगा और उनके नाम उनकी पोषक संवर्ग में पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रमानुसार व्यवस्थित किये जायेंगे। पदोन्नति के आदेश ज्येष्ठता क्रम में ही निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति हेतु 'उपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत अधिकारियों का अधिक्रमण (Supersession) नहीं होगा। विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार जिन अधिकारियों को 'अनुपयुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत किया जायेगा, उनके नाम चयन सूची में नहीं सम्मिलित किये जायेंगे।

4- उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों के विरुद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 1995, जो दिनांक 10 जुलाई, 1995 को निर्गत की गयी है, में प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के (निस्तारण) की व्यवस्था दी गयी है। शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2/2013, दिनांक 01 फरवरी, 2013 द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सन्तोषजनक, उत्तम/अच्छ तथा अतिउत्तम ग्रेडिंग के सापेक्ष प्रविष्टि प्राप्तकर्ता कार्मिक द्वारा प्रत्यावेदन दिये जाने की स्थिति में उसके निस्तारण की व्यवस्था दी गयी है। शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त नियमावली/शासनादेश की व्यवस्था का सम्यक् अनुपालन किये बिना चयन की कार्यवाही की जाती है अथवा चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। कृपया चयन किये जाने अथवा चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाने से पूर्व उपरोक्त नियमावली/शासनादेश की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

5- शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी आया है कि विभिन्न प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा ले लिया जाता है, परन्तु आरोप-पत्र ससमय निर्गत नहीं किया जाता है। अनेक मामलों में यह देखने में आया है कि कई वर्षों तक आरोप-पत्र निर्गमन की प्रक्रिया विचाराधीन रहती है। इसी बीच चयन की कार्यवाही की जाती है अथवा चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। यह स्थिति कार्मिक

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रबन्धन के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं है। कृपया अनुशासनिक कार्यवाही सन्धित किये जाने के साथ ही यथासम्भव 15 दिन के भीतर आरोप-पत्र निर्गत कर दिये जायें। ऐसे मामलों में आरोप-पत्र निर्गत किये जाने के पश्चात् ही यथास्थिति चयन की कार्यवाही/चयन के प्रस्ताव प्रेषित किये जायें।

6- उपरोक्त के आलोक में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा लिये गये उक्त निर्णयों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या-15/2017/13(2)/2007/का-1/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. गार्ड फाइल।

आजा से,
दीपक त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है. अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



पत्र सं० 215 -का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/19-14-का०वि०नी०/87(एम.एफ.) दिनांक 22 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 14.11.2018 को सम्पन्न 142(28)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्रेष्ठता एवं वरिष्ठता के आधार पर किये जाने वाले चयन के सम्बन्ध में उल्लिखित कार्यालय ज्ञाप सं० 1327-काविनी/राविप-29/96 दिनांक 11.07.1996, सं० 421-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 दिनांक 15.05.2012, सं० 414-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2012 दिनांक 15.05.2012, सं० 1849-काविनी/राविप-29/97-14-काविनी/87 दिनांक 08.10.1997, 850-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/18-14-काविनी/87(एम०एफ०) दिनांक 26.07.2018 एवं 855-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/18-14-काविनी/87(एम०एफ०) दिनांक 02.08.2018 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अनुसार विभागीय चयन समिति अपनी विधियों (Own Methods) एवं प्रक्रियाओं (Procedures) के अनुसार चयन प्रक्रिया निष्पादित किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित विधियों/मापदण्डों में यथा आवश्यक समुचित परिवर्तन/परिवर्धन करने हेतु निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त चयन प्रक्रिया सम्पादित करेंगी।

2. उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्थाएँ तत्काल प्रभाव, अर्थात् आदेश निर्गमन की तिथि से प्रभावी होंगी। उपरोक्त के फलस्वरूप तत्संगत सेवा विनियमावलियों के प्राविधान तथा इस विषय में पूर्व में निर्गत आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

संख्या : 215 (1)-का०वि०नी० एवं वे०प्र०-29/पा०का०लि०/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
5. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
6. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं 2), उ०प्र० पा०का०लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. उप महाप्रबन्धक (लेखा-प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।
12. अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एस०एल०डी०सी० परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
15. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
16. सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. अनु सचिव (स०प्र०-लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
18. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
19. समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
20. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.11.2018 को सम्पन्न 142(28)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
21. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (काविनी)